राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मिश्री देवी बनाम शशि राजकुमारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 874/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

31/10/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/11/2025 को पेश हो |

04/11/25

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 01/05/2018 पारित करते हुये वादिया की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126 वाके ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा , जिला जयपुर से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुये पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायलय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20/02/2015 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया था, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 62 पर मौजूद है एवं अपीलार्थी द्वारा यह आपत्ति जाहिर की गयी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से वाद का अन्तिम निस्तारण कर दिया गया, जो विधिक प्रक्रियाओ के विपरित है | इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय आदेशिकाऐ अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी की यह आपत्ति उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वाद का अन्तिम निस्तारण कर दिया, जो विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रतीत नही होता है | कानूनन वाद में लम्बित समस्त प्रार्थना पत्रों को निस्तारित करने के उपरान्त ही वाद को अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मिश्री देवी बनाम शशि राजकुमारी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 01/05/2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दिनांक 20/02/2015 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 व धारा 151 सीपीसी का बाद सुनवाई पक्षकारान विधिक निस्तारण करने के उपरान्त ही विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये वाद का अन्तिम निस्तारण करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर